नाव्य जलपथ बाधा अधिनियम, 1881

1881 का अधिनियम संख्यांक 16

नाव्य जलपथों में बाधाओं को हटाने या नष्ट करने और ऐसी बाधाएं पैदा न होने देने के लिए सरकार को सशक्त करने के लिए अधिनियम
[15 मार्च, 1881]

उद्देशिका – [उन राज्य क्षेत्रों में, जो 1 नवम्बर, 1956 से ठीक पूर्व भाग क और भाग ग राज्यों में समाविष्ट थे] पत्तनों को जाने वाले नाव्य जलपथों में नौ परिवहन की बाधाओं को हटाने या नष्ट करने और ऐसी बाधाएं पैदा न होने देने के लिए सरकार को सशक्त करना समीचीन है, अत: एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :--

1. **संक्षिप्त नाम** – इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नाव्य जलपथ बाधा अधिनियम, 1881 है । 2* किन्तु इसकी कोई बात ऐसे जलयानों को लागू नहीं होगी 3*[जो सरकार के हैं या सरकार की ओर से संविदा भाड़े पर लिए गए हैं] ।

2. **नाव्य जलपथ में बाधा हटाने या नष्ट करने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त करना** -- जब कभी 1*[उन राज्य क्षेत्रों में, जो 1 नवम्बर, 1956 से ठीक पूर्व भाग क राज्यों और भाग ग राज्यों में समाविष्ट थे] किसी पत्तन को जाने वाले किसी नाव्य जलपथ में कोई जलयान डूबा हुआ, उत्कूलित या परित्यक्त पड़ा है, अथवा कोई मत्स्य- उपकरण, काष्ठ या अन्य कोई चीज रखी या छोड़ी हुई है तब, यदि 4* [केंद्रीय सरकार] की यह राय है कि ऐसी चीज के लिए बाधा या खतरा है या हो सकती है तो वह (क) ऐसी चीज या उसके किसी भाग को हटवा सकेगी, अथवा (ख) यदि ऐसी चीज इस प्रकार की है या इस प्रकार स्थित है कि 5* [केंद्रीय सरकार की राय में] वह हटाने योग्य नहीं है, तो उसे या उसके किसी भाग हो नष्ट करा सकेगी । इस अधिनियम का, 1962 के विनियम सं0 12 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा, उपांतरणों सहित, गोवा, दमण और दीव पर और 1965 के विनियम सं0 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1.10.1967 से) लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तार किया गया । ----------1. विधि अनुकूलन (सं0 2) आदेश, 1956 द्वारा " भाग के राज्य या भाग ग राज्य में " के स्थान पर प्रतिस्थापित । 2. 1914 के अधिनियम सं0

10 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा " और यह तुरंत प्रवृत्त होगा " शब्द निरसित किए गए । 3. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा " हर मैजेस्टी के हैं अथवा हर मैजेस्टी या सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया इन कौंसिल द्वारा भाड़े पर लिए गए हैं " के स्थान पर प्रतिस्थापित । 4. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा " ब्रिटिश भारत के ऐसे भाग की स्थानीय सरकार, जिसमें ऐसा पत्तन स्थित है " के स्थान पर प्रतिस्थापित । 5. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा " स्थानीय सरकार की राय में " के स्थान पर प्रतिस्थापित । 2. नाव्य जलपथ में बाधा हटाने या नष्ट करने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त करना -- जब कभी 1*[उन राज्य क्षेत्रों में, जो 1 नवम्बर, 1956 से ठीक पूर्व भाग क राज्यों और भाग ग राज्यों में समाविष्ट थे] किसी पत्तन को जाने वाले किसी नाव्य जलपथ में कोई जलयान डूबा हुआ, उत्कूलित या परित्यक्त पड़ा है, अथवा कोई मत्स्य- उपकरण, काष्ठ या अन्य कोई चीज रखी या छोड़ी हुई है तब, यदि 4* [केंद्रीय सरकार] की यह राय है कि ऐसी चीज के लिए बाधा या खतरा है या हो सकती है तो वह (क) ऐसी चीज या उसके किसी भाग को हटवा सकेगी, अथवा (ख) यदि ऐसी चीज इस प्रकार की है या इस प्रकार स्थित है कि 5* [केंद्रीय सरकार की राय में] वह हटाने योग्य नहीं है, तो उसे या उसके किसी भाग हो नष्ट करा सकेगी । इस अधिनियम का, 1962 के विनियम सं0 12 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा, उपांतरणों सहित, गोवा, दमण और दीव पर और 1965 के विनियम सं0 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1.10.1967 से) लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तार किया गया । ----------

-----1. विधि अनुकूलन (सं0 2) आदेश, 1956 द्वारा " भाग के राज्य या भाग ग राज्य में " के स्थान पर प्रतिस्थापित । 2. 1914 के अधिनियम सं0 10 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा " और यह तुरंत प्रवृत्त होगा " शब्द निरसित किए गए । 3. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा " हर मैजेस्टी के हैं अथवा हर मैजेस्टी या सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया इन कौंसिल द्वारा भाड़े पर लिए गए हैं " के स्थान पर प्रतिस्थापित । 4. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा " ब्रिटिश भारत के ऐसे भाग की स्थानीय सरकार, जिसमें ऐसा पत्तन स्थित है " के स्थान पर प्रतिस्थापित । 5. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा " स्थानीय सरकार की राय में " के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

3. **<u>बाधा हटाने में हुए व्यय के लिए केंद्रीय सरकार का हकदार होना</u>** – जब कभी कोई चीज धारा 2 के अधीन हटाई जाती है, तब 1* [केंद्रीय सरकार,] ऐसे हटाने में हुए व्यय के लिए मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक समुचित धनराशि प्राप्त करने की हकदार होगी । ऐसे व्यय के बारे में विवाद—इस प्रकार हटाई गई किसी चीज के संबंध में इस धारा के अधीन देय रकम के बारे में उठने वाला कोई विवाद, उस स्थान पर जहां ऐसी चीज है, अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट या प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा, विवाद के पक्षकारों में से किसी के द्वारा उस प्रयोजन के लिए उसे आवेदन किए जाने पर, विनिश्चित किया जाएगा और ऐसा विनिश्चय अंतिम होगा । 3. बाधा हटाने में हुए व्यय के लिए केंद्रीय सरकार का हकदार होना – जब कभी कोई चीज धारा 2 के अधीन हटाई जाती है, तब 1* [केंद्रीय सरकार,] ऐसे हटाने में हुए व्यय के लिए मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक समुचित धनराशि प्राप्त करने की हकदार होगी । ऐसे व्यय के बारे में विवाद—इस प्रकार हटाई गई किसी चीज के संबंध में इस धारा के अधीन देय रकम के बारे में उठने वाला कोई विवाद, उस स्थान पर जहां ऐसी चीज है, अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट या प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा, विवाद के पक्षकारों में से किसी के द्वारा उस प्रयोजन के लिए उसे आवेदन किए जाने पर, विनिश्चित किया जाएगा और ऐसा विनिश्चय अंतिम होगा ।

4. **<u>हटाने की सूचना का केंद्रीय सरकार द्वारा दिया जाना</u>** – जब कभी धारा 2 के अधीन कोई चीज हटाई जाती है तब, 2*[केंद्रीय सरकार] राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित करेगी जिसमें उस चीज का वर्णन होगा और वह समय और स्थान दिया होगा जब और जिससे उसे इस प्रकार हटाया गया था । 4. हटाने की सूचना का केंद्रीय सरकार द्वारा दिया जाना – जब कभी धारा 2 के अधीन कोई चीज हटाई जाती है तब, 2*[केंद्रीय सरकार] राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित करेगी जिसमें उस चीज का वर्णन होगा और वह समय और स्थान दिया होगा जब और जिससे उसे इस प्रकार हटाया गया था ।

5. **<u>हटाई गई चीजों का कुछ परिस्थितियों में विक्रय किया जा सकना</u>** – यदि ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् ऐसी चीज के बारे में कोई दावा नहीं किया जाता है, अथवा यदि उसके लिए दावा करने वाला व्यक्ति उक्त व्यय के लिए देय रकम का तथा सीमा – शुल्क अथवा उसके संबंध में 2* [केंद्रीय सरकार] द्वारा उचित रूप में उपगत अन्य प्रभारों का संदाय करने में असफल रहता है । तो 2*[केंद्रीय सरकार] उस चीज को, यदि वह विनश्वर प्रकृति की है तो तुरंत और यदि वह विनश्वर प्रकृति की नहीं है, तो अधिसूचना के यथा

पूर्वोक्त प्रकाशन के पश्चात् छह मास से अन्यून किसी समय, सार्वजनिक नीलाम द्वारा विक्रय कर सकेगी । 5. हटाई गई चीजों का कुछ परिस्थितियों में विक्रय किया जा सकना – यदि ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् ऐसी चीज के बारे में कोई दावा नहीं किया जाता है, अथवा यदि उसके लिए दावा करने वाला व्यक्ति उक्त व्यय के लिए देय रकम का तथा सीमा – शुल्क अथवा उसके संबंध में 2* [केंद्रीय सरकार] द्वारा उचित रूप में उपगत अन्य प्रभारों का संदाय करने में असफल रहता है । तो 2*[केंद्रीय सरकार] उस चीज को, यदि वह विनश्वर प्रकृति की है तो तुरंत और यदि वह विनश्वर प्रकृति की नहीं है, तो अधिसूचना के यथा पूर्वोक्त प्रकाशन के पश्चात् छह मास से अन्यून किसी समय, सार्वजनिक नीलाम द्वारा विक्रय कर सकेगी ।

6. **<u>विक्रय धन का उपयोजन कैसे किया जाएगा</u>** – ऐसे विक्रय से धन प्राप्त हो जाने पर, यथा पूर्वोक्त किए गए व्यय और प्रभारों के लिए देय रकम को, विक्रय संबंधी व्यय सहित, उसमें से काट लिया जाएगा और अधिशेष (यदि कोई हो) विक्रीत चीज के स्वामी को दे दिया जाएगा, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित न हो और ऐसे अधिशेष के लिए दावा न करे, तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति को, बिना ब्याज के, देने के लिए जमा रखा जाएगा जो तत्पश्चात् उसके लिए अपना अधिकार सिद्ध करे : परंतु यह तभी होगा जब ऐसा व्यक्ति विक्रय की तारीख से एक वर्ष के अंदर दावा करे । 6. विक्रय धन का उपयोजन कैसे किया जाएगा – ऐसे विक्रय से धन प्राप्त हो जाने पर, यथा पूर्वोक्त किए गए व्यय और प्रभारों के लिए देय रकम को, विक्रय संबंधी व्यय सहित, उसमें से काट लिया जाएगा और अधिशेष (यदि कोई हो) विक्रीत चीज के स्वामी को दे दिया जाएगा, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित न हो और ऐसे अधिशेष के लिए दावा न करे, तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति को, बिना ब्याज के, देने के लिए जमा रखा जाएगा जो तत्पश्चात् उसके लिए अपना अधिकार सिद्ध करे : परंतु यह तभी होगा जब ऐसा व्यक्ति विक्रय की तारीख से एक वर्ष के अंदर दावा करे ।

7. **<u>जलयान के अंतर्गत टैकल, नौभार आदि का होना</u>** – इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए " जलयान " शब्द के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसी वस्तु या चीज या चीजों का संग्रह भी है,----------
-----1. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा " सरकार " के स्थान पर प्रतिस्थापित । जो किसी जलयान के टैकल, उपस्कर, नौभार, स्टोर या रोड़ी – पत्थर का भाग है या उसका भागरूप है और जलयान और उसके नौभार को अथवा उससे प्राप्त किसी अन्य संपत्ति के विक्रय से प्राप्त

होने वाले धन को सामान्य निधि समझा जाएगा । 7. जलयान के अंतर्गत टैकल, नौभार आदि का होना – इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए " जलयान " शब्द के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसी वस्तु या चीज या चीजों का संग्रह भी है,----------
---------1. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा " सरकार " के स्थान पर प्रतिस्थापित । जो किसी जलयान के टैकल, उपस्कर, नौभार, स्टोर या रोड़ी – पत्थर का भाग है या उसका भागरूप है और जलयान और उसके नौभार को अथवा उससे प्राप्त किसी अन्य संपत्ति के विक्रय से प्राप्त होने वाले धन को सामान्य निधि समझा जाएगा ।

8. **<u>नाव्य जलपथों में बाधाओं को रखने को विनियमित करने और प्रतिषिद्ध करने के नियम बनाने की शक्ति</u>** – केंद्रीय सरकार 1* [उन राज्य क्षेत्रों में, जो 1 नवम्बर, 1956 से ठीक पूर्व भाग क राज्यों और भाग ग राज्यों में समाविष्ट थे] किसी पत्तन को जाने वाले किसी नाव्य जलपथ में मत्स्ययन – उपकरण रखने, रोड़ी – पत्थर, कचरा या कोई ऐसी अन्य चीज फेंकने या गिराने, जिससे कि ढाल या जल – बालू उत्थान पैदा हो सकता है, अथवा कोई ऐसा अन्य कार्य करने को, जिससे कि, उसकी राय में, नौपरिवहन को बाधा या खतरा पैदा होगा या हो सकता है, विनियमित या प्रतिषिद्ध करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय – समय पर बना सकेगी । 8. नाव्य जलपथों में बाधाओं को रखने को विनियमित करने और प्रतिषिद्ध करने के नियम बनाने की शक्ति – केंद्रीय सरकार 1* [उन राज्य क्षेत्रों में, जो 1 नवम्बर, 1956 से ठीक पूर्व भाग क राज्यों और भाग ग राज्यों में समाविष्ट थे] किसी पत्तन को जाने वाले किसी नाव्य जलपथ में मत्स्ययन – उपकरण रखने, रोड़ी – पत्थर, कचरा या कोई ऐसी अन्य चीज फेंकने या गिराने, जिससे कि ढाल या जल – बालू उत्थान पैदा हो सकता है, अथवा कोई ऐसा अन्य कार्य करने को, जिससे कि, उसकी राय में, नौपरिवहन को बाधा या खतरा पैदा होगा या हो सकता है, विनियमित या प्रतिषिद्ध करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय – समय पर बना सकेगी ।

9. **<u>ऐसे नियमों को भंग करने के लिए शास्ति</u>** – जो कोई धारा 8 के अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में किसी कार्य या लोप का दोषी होगा उसका विचारण ऐसे अपराध के लिए ऐसे जिले या प्रेसिडेंसी नगर में किया जा सकेगा जिसमें वह पाया जाता है और वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से,

दंडित किया जाएगा । 9. ऐसे नियमों को भंग करने के लिए शास्ति – जो कोई धारा 8 के अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में किसी कार्य या लोप का दोषी होगा उसका विचारण ऐसे अपराध के लिए ऐसे जिले या प्रेसिडेंसी नगर में किया जा सकेगा जिसमें वह पाया जाता है और वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

10. **इस अधिनियम के अधीन हुए नुकसान के लिए कुछ मामलों में प्रतिकर का संदेय होना** – जब कभी किसी नाव्य जलपथ में किसी बाधा का बनाए रखना या पैदा करना, उसके दीर्घ काल तक उपयोग में रहने के कारण, या अन्यथा, विधिपूर्ण हो गया है, और ऐसी बाधा धारा 2 के अधीन हटा दी जाती है या नष्ट कर दी जाती है, अथवा उसका पैदा किया जाना धारा 8 के अधीन विनियमित या प्रतिषिद्ध कर दिया जाता है, तब ऐसा व्यक्ति, जिसे उस बाधा को बनाए रखने या पैदा करने का अधिकार है, उसके इस प्रकार हटाए जाने, नष्ट, विनियमित या प्रतिषिद्ध किए जाने से उसे हुई किसी हानि के लिए 2* [केंद्रीय सरकार] से समुचित प्रतिकर पाने का हकदार होगा । ऐसे प्रतिकर के अधिकार या उसकी रकम के संबंध में उठने वाला प्रत्येक विवाद ऐसी विधि के अनुसार अवधारित किया जाएगा, जो 3* लोक प्रयोजनों के लिए अपेक्षित भूमि के मामले में उसी प्रकार विवाद के संबंध में तत्समय प्रवृत्त है, न कि अन्यथा और ऐसी विधि के प्रयोजनों के लिए उस नाव्य जलपथ को, जिससे या जिसमें ऐसी बाधा हटाई या नष्ट की गई थी अथवा जिसमें उसका पैदा किया जाना विनियमित या प्रतिषिद्ध किया गया था, उस प्रेसिडेंसी नगर या जिले का भाग समझा जाएगा जिसमें वह पत्तन स्थित है जिसको ऐसा नाव्य जलपथ जाता है ।----------

---------1. विधि अनुकूलन (सं0 2) आदेश, 1956 द्वारा " भाग के राज्य या भाग ग राज्य में " के स्थान पर प्रतिस्थापित । 2. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया इन कौंसिल " के स्थान पर प्रतिस्थापित । 3. देखिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) । 10. इस अधिनियम के अधीन हुए नुकसान के लिए कुछ मामलों में प्रतिकर का संदेय होना – जब कभी किसी नाव्य जलपथ में किसी बाधा का बनाए रखना या पैदा करना, उसके दीर्घ काल तक उपयोग में रहने के कारण, या अन्यथा, विधिपूर्ण हो गया है, और ऐसी बाधा धारा 2 के अधीन हटा दी जाती है या नष्ट कर दी जाती है, अथवा उसका पैदा किया जाना धारा 8 के अधीन विनियमित या प्रतिषिद्ध कर दिया जाता है, तब ऐसा

व्यक्ति, जिसे उस बाधा को बनाए रखने या पैदा करने का अधिकार है, उसके इस प्रकार हटाए जाने, नष्ट, विनियमित या प्रतिषिद्ध किए जाने से उसे हुई किसी हानि के लिए 2* [केंद्रीय सरकार] से समुचित प्रतिकर पाने का हकदार होगा । ऐसे प्रतिकर के अधिकार या उसकी रकम के संबंध में उठने वाला प्रत्येक विवाद ऐसी विधि के अनुसार अवधारित किया जाएगा, जो 3* लोक प्रयोजनों के लिए अपेक्षित भूमि के मामले में उसी प्रकार विवाद के संबंध में तत्समय प्रवृत्त है, न कि अन्यथा और ऐसी विधि के प्रयोजनों के लिए उस नाव्य जलपथ को, जिससे या जिसमें ऐसी बाधा हटाई या नष्ट की गई थी अथवा जिसमें उसका पैदा किया जाना विनियमित या प्रतिषिद्ध किया गया था, उस प्रेसिडेंसी नगर या जिले का भाग समझा जाएगा जिसमें वह पत्तन स्थित है जिसको ऐसा नाव्य जलपथ जाता है ।----------1. विधि अनुकूलन (सं0 2) आदेश, 1956 द्वारा " भाग के राज्य या भाग ग राज्य में " के स्थान पर प्रतिस्थापित । 2. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया इन कौंसिल " के स्थान पर प्रतिस्थापित । 3. देखिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) ।

11. **<u>इस अधिनियम के पारित किए जाने से पूर्व सरकार की कतिपय कार्रवाई का इसके अधीन किया गया समझा जाना</u>** – जब कभी 1* [उन राज्य क्षेत्रों में, जो 1 नवम्बर, 1956 से ठीक पूर्व भाग क राज्यों और भाग ग राज्यों में समाविष्ट थे] किसी पत्तन को जाने वाले किसी नाव्य जलपथ में इस अधिनियम के पारित किए जाने से पूर्व केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के आदेश से, कोई बाधा हटाई गई है या नष्ट की गई है अथवा जब कभी ऐसी किसी बाधा का पैदा किया जाना विनियमित या प्रतिषिद्ध किया गया है, तब ऐसा हटाया जाना, नष्ट किया जाना, विनियमित या प्रतिषेध इस अधिनियम के अधीन किया गया समझा जाएगा । 11. इस अधिनियम के पारित किए जाने से पूर्व सरकार की कतिपय कार्रवाई का इसके अधीन किया गया समझा जाना – जब कभी 1* [उन राज्य क्षेत्रों में, जो 1 नवम्बर, 1956 से ठीक पूर्व भाग क राज्यों और भाग ग राज्यों में समाविष्ट थे] किसी पत्तन को जाने वाले किसी नाव्य जलपथ में इस अधिनियम के पारित किए जाने से पूर्व केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के आदेश से, कोई बाधा हटाई गई है या नष्ट की गई है अथवा जब कभी ऐसी किसी बाधा का पैदा किया जाना विनियमित या प्रतिषिद्ध किया गया है, तब ऐसा हटाया जाना,

नष्ट किया जाना, विनियमित या प्रतिषेध इस अधिनियम के अधीन किया गया समझा जाएगा ।

12. **<u>केंद्रीय सरकार को प्राप्त अन्य शक्तियों की व्यावृत्ति</u>** - इसमें किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह 2* [केंद्रीय सरकार] को किन्हीं ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करने से रोकती है जो उसे इस निमित्त प्राप्त हैं । 12. केंद्रीय सरकार को प्राप्त अन्य शक्तियों की व्यावृत्ति - इसमें किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह 2* [केंद्रीय सरकार] को किन्हीं ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करने से रोकती है जो उसे इस निमित्त प्राप्त हैं ।

13. **<u>अन्तर्देशीय जलमार्गों में नाव्य जलपथों को लागू होना</u>**—इस अधिनियम में 4* [केंद्रीय सरकार] के प्रति सभी निर्देशों का अन्तर्देशीय जलमार्गों में नाव्य जलपथों के संबंध में यह अर्थ किया जाएगा कि वे राज्य सरकार के प्रति निर्देश हैं ।----------1. विधि अनुकूलन (सं0 2) आदेश, 1956 द्वारा " भाग के राज्य या भाग ग राज्य में " के स्थान पर प्रतिस्थापित । 2. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा " सरकार " के स्थान पर प्रतिस्थापित । 3. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा प्रतिस्थापित । 4. विधि अनुकूलन (सं0 2) आदेश, 1956 द्वारा " भाग के राज्य या भाग ग राज्य में " के स्थान पर प्रतिस्थापित । 13. अन्तर्देशीय जलमार्गों में नाव्य जलपथों को लागू होना—इस अधिनियम में 4* [केंद्रीय सरकार] के प्रति सभी निर्देशों का अन्तर्देशीय जलमार्गों में नाव्य जलपथों के संबंध में यह अर्थ किया जाएगा कि वे राज्य सरकार के प्रति निर्देश हैं ।----------1. विधि अनुकूलन (सं0 2) आदेश, 1956 द्वारा " भाग के राज्य या भाग ग राज्य में " के स्थान पर प्रतिस्थापित । 2. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा " सरकार " के स्थान पर प्रतिस्थापित । 3. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा प्रतिस्थापित । 4. विधि अनुकूलन (सं0 2) आदेश, 1956 द्वारा " भाग के राज्य या भाग ग राज्य में " के स्थान पर प्रतिस्थापित ।